प्रधान महालेखाकार (ले0&ह0) का
कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001

OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या / No. हिं.अ./ले.व ह./11/कार्यवृत्त/2025-26/बी-203
दिनांक / Date 05.02.2026

कार्यवृत्त

विषयः 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही से संबंधित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत।

अक्तूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए दिनांक 28.01.2025 को प्रधान महालेखाकार महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

क्रम सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती)	पदनाम
1.	स्पर्श कुमार वर्मा	सहायक उपमहालेखाकार
2.	सुनील कुमार	सहायक निदेशक (राजभाषा)-सह-सचिव
3.	अरविंद प्रसाद सिंह	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
4.	मो. एन. आलम	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
5.	चन्द्र किशोर तिवारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
6.	विनोद कुमार चौधरी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
7.	श्रीराम पाण्डेय	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
8.	अजय कुमार पोद्दार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
9.	अपराजिता	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
10.	अभय नन्दन कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
11.	नवल किशोर चौधरी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
12.	रत्नेश कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
13.	सुनील कुमार नं.-5	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
14.	सुनील कुमार सिन्हा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
15.	सुनील कुमार नं.-4	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
16.	चन्द्र प्रकाश सिंह	वरिष्ठ लेखा अधिकारी

17.	पंकज कुमार	स. लेखा अधिकारी
18.	सन्नी कुमार	कनिष्ठ अनुवादक
19.	उदयभान विश्वकर्मा	कनिष्ठ अनुवादक

सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों के स्वागत के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम 30 सितम्बर 2025 को तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही, अक्तूबर-दिसम्बर 2025 तिमाही के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 तथा हिंदी में मूल पत्राचार, टिप्पण लेखन आदि की समीक्षा की गई। बैठक की कार्यसूची के अन्य मदों के अनुसार विचार-विमर्श किया गया एवं राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास, कार्यान्वयन एवं शत-प्रतिशत अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

<u>मद सं. 1. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र) द्वारा कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण</u>

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के डॉ विचित्रसेन गुप्त, उप निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा दिनांक 07.01.2026 को इस कार्यालय का राजभाषा से संबन्धित भौतिक निरीक्षण किया गया। उक्त कार्यालय द्वारा प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14.01.2026 के समस्त मदों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय ने कार्यालय के संबन्धित अनुभागों में पाई गई विसंगतियों का यथाशीघ्र निराकरण करने तथा भविष्य में राजभाषा संबंधी नियम–अधिनियम के अनुरूप क्रियान्वयन करने हेतु कार्यालय आदेश जारी करने का निदेश दिया।

(कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)

<u>मद सं. 2. राजभाषा निरीक्षण के दौरान हिंदी प्रतिवेदन की सत्यता की जांच</u>

अध्यक्ष महोदय ने समस्त अनुभागों से प्राप्त हिंदी प्रतिवेदन पर चर्चा की। उन्होनें तिमाही प्रगति प्रतिवेदन में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की सत्यता की जांच एवं धारा 3(3) पर विशेष बल देने हेतु आदेश दिया।

(कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)

<u>मद सं. 3. इस विभाग के "क" एवं "ख" क्षेत्र में अवस्थित कार्यालयों से हिंदी में पत्राचार करने के संबंध में</u>

अक्तूबर-दिसम्बर 2025 तिमाही हेतु इस कार्यालय को "क" क्षेत्र में अवस्थित कार्यालयों से कुल 1026 पत्र अँग्रेजी में प्राप्त हुए हैं जिसमें 313 पत्रों के प्रत्युत्तर हिंदी एवं

195 पत्रों के प्रत्युत्तर अँग्रेजी में दिये गए तथा 518 पत्रों के प्रत्युत्तर अपेक्षित नहीं थे। अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि "क" एवं "ख" क्षेत्र के कार्यालयों से पत्र व्यवहार केवल हिंदी में करने का प्रयास करें। उक्त तिमाही के दौरान जिन अनुभागों द्वारा अँग्रेजी पत्रों के प्रत्युत्तर अँग्रेजी में दिये गए हैं उन्हें आदेश दिया गया है कि "क" एवं "ख" क्षेत्र के कार्यालयों से भविष्य में पत्राचार केवल हिंदी में ही करें।

(कार्रवाई-प्रशासन-I, प्रशासन-II, प्रशासन-III, पी.ए.ओ.-I, पी.ए.ओ.-II, सी.सी., आई.टी.एस.,डबल्यू.एम.-I एवं लेखा स्कन्ध)

मद सं. 4. के.आर.ए. से संबन्धित मामलों का अनुपालन

अध्यक्ष महोदय द्वारा के.आर.ए. से संबन्धित पैरामीटर की समीक्षा की गई। अध्यक्ष महोदय ने के.आर.ए. के पैरामीटर का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निदेश दिया।

(कार्रवाई-समस्त नियंत्री अनुभाग)

मद सं. 5. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु हिंदी पुस्तकों का क्रय

हिंदी पुस्तकों का क्रय अभी तक लंबित है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पुस्तकों के क्रय पर होने वाले व्यय की राशि मुख्यालय से प्राप्त होने के उपरांत त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया।

(कार्रवाई: सामान्य अनुभाग)

मद सं. 6. कार्यालयीन हिंदी पत्रिका 'चेतना' के 37वें अंक का प्रकाशन

अध्यक्ष महोदय ने कार्यालयीन हिंदी पत्रिका 'चेतना' के 37वें अंक के संबंध में प्राप्त प्रकाशनार्थ सामग्री पर चर्चा की एवं चेतना प्रकाशन समिति का गठन करने तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पत्रिका का प्रकाशन सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया।

(कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)

मद सं. 7. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का शत्-प्रतिशत अनुपालन:

बैठक में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 (हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना) के शत्-प्रतिशत अनुपालन पर चर्चा की गई। समिति को अवगत कराया गया कि मुख्यालय एवं राजभाषा विभाग द्वारा उक्त अधिनियम एवं नियम के पूर्णतः अनुपालन पर जोर दिया जाता रहा है। इस आलोक में सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि उक्त तिमाही हेतु इस कार्यालय द्वारा धारा 3(3) एवं नियम 5 का शत्-प्रतिशत अनुपालन किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिया कि राजभाषा नियम एवं अधिनियम का शत्-प्रतिशत अनुपालन

सुनिश्चित किया जाये।

(कार्रवाई: समस्त नियंत्री स्कंध/प्रशासन अनुभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता/-

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)/ सभी उपमहालेखाकार के सचिवालय।
3. सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारी- इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से नोट कराकर अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् हिंदी अनुभाग को सूचित किया जाए।
4. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
5. सूचना पट्ट।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR
Date: 05-02-2026
16:18:39

सहायक निदेशक (राजभाषा)

Phone: 0612-2225634 **Fax: 0612-2221056** **Email: agaebihar@cag.gov.in**